फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना–कुचामन)

ादी

सिंह

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

बनाम

सदाकवंर वगैरह

करण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 88 /2019

ुक्म	**हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत दिनांक 10.10.2019 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर वकील प्रार्थी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील प्रार्थी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है। ना ही आज वकील प्रार्थी उपस्थित न्यायालय हुये है। चूंकि प्रकरण हाजा सम्मरी प्रोसेडिंग का है, जिनके निस्तारण के लिए समय सीमा 3 माह की अवधि निर्धारित है। अतः प्रार्थी अधीन धारा 212 एक्ट 1955 बावजूद हिदायत प्रतिवादीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश–9 नियम–5 एवं बावजूद सूचना गैर हाजिर रहने पर अदम हाजरी व अदम तकमील में खारिज किया जाता है। (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना–कुचामन) उपखण्ड अधिकारी नावां	